रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27072020-220708
CG-DL-E-27072020-220708

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 292] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 27, 2020/ श्रावण 5, 1942
No. 292] NEW DELHI, MONDAY, JULY 27, 2020/SRAVANA 5, 1942

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2020

सं. 01/लैब और सैंपल एनालिसिस/रेग/2019.—खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बंधन) विनियम, **2019** का प्रारूप खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 92 की उपधारा (1) की अपेक्षा के अनुसार, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना सं. 01/लैब और सैंपल एनालिसिस/रेग/2019, दिनांक **5** जुलाई, 2019 द्वारा, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित किये गए थे जिसमे उन सभी व्यक्तियों से जिनको उससे प्रभावित होने की संभावना थी उक्त अधिसूचना के राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध कराये जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किये गए थे।

और उक्त राजपत्र की प्रतियाँ जनता को 15 जुलाई, 2019 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप विनियम के सम्बन्ध में जनता से प्राप्त आक्षेपो और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार कर लिया गया है;

अत: अब भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, उक्त अधिनियम की धारा 40 और धारा 43 के साथ पठित धारा 92 की उप धारा (2) के खंड (थ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बंधन) विनियम, 2011 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रयोगशाला और नमूना विश्लेषण) प्रथम संशोधन विनियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. खाद्य सुरक्षा एवं मानक (प्रयोगशाला और नमूना विश्लेषण) विनियम, 2011 में, विनियम 2.3 के पश्चात, निम्नलिखित विनियम को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात-

"2.4 **रैपिड विश्लेषणात्मक खाद्य परीक्षण किट, उपकरण या विधि की स्वीकृति-**

2.4.1 खाद्य प्राधिकरण खाद्य परीक्षण के उद्देश्य से रैपिड एनालिटिकल फूड टेस्टिंग किट, उपकरण या विधि को मंजूरी दे सकता है।

2.4.2 रैपिड एनालिटिकल फूड टेस्टिंग किट, उपकरण या विधि के अनुमोदन की प्रक्रिया उन दिशानिर्देशों के अनुसार होगी, जो समय-समय पर खाद्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जा सकती है।"

अरुण सिंघल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./147/2020]

नोटः मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 2-15015/30/2010 तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गया और पश्चातवर्ती अधिसूचना संख्या 4/15015/30/2011 तारीख 8 फरवरी, 2013 द्वारा संशोधित किया गया।

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2020

No. 01/ Lab & sample Analysis/ Reg/2019.—Whereas the draft of certain regulations, namely, the Food Safety and Standards (Laboratory and sample Analysis) Amendment Regulations, 2019, was published vide notification of the Food Safety and Standards Authority of India number No. 01/ Lab & sample Analysis/ Reg//2019, dated the 5th July, 2019, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 as required by sub-section (1) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), inviting objections and suggestions from persons likely to be affected thereby, within a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the copies of the said Official Gazette were made available to the public on the 15th July, 2019;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have been considered by the Food Safety and Standards Authority of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (q) of sub-section (2) of section 92 read with section 40 and section 43 of the said Act, the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Food Safety and Standards (Laboratory and sample Analysis) Regulations, 2011, namely: -

1. (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Laboratory and sample Analysis) First Amendment Regulations, 2020.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Food Safety and Standards (Laboratory and sample Analysis) Regulations, 2011, after the regulation 2.3, the following regulation shall be inserted, namely-

" **2.4 Approval of Rapid Analytical Food testing Kit, Equipment or Method**-

2.4.1 Food Authority may approve Rapid Analytical Food testing Kit, Equipment or Method for the purpose of testing of Food.

2.4.2 The procedure for approval of Rapid Analytical Food testing Kit, Equipment or Method shall be as per the guidelines that may be framed by the Food Authority from time to time."

ARUN SINGHAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./147/2020]

Note. - The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary vide notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011 and subsequently amended *vide* notification number F.No. 4/15015/30/2011 dated 8th February,2013.

Loaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM
Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2020.07.27 21:29:49 +05'30'